

कार्यालय अधिष्ठाता

श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

ई-मेल : deansshivpuri@gmail.com

वेबसाइट <http://shivpurimedicalcollege.com>

क्रमांक. 10/77 /स्था./अराज/2021

शिवपुरी, दिनांक - 12/08/2021

//सह चिकित्सकीय संवर्ग भर्ती सूचना //

1. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी में मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 एवं संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. द्वारा प्राप्त अनुसूचियों तथा मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ2-20/2020/1/55 भोपाल, दिनांक 17.11.2020 एवं 09.04.2021 के अनुसार सह चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्तपदों पर सर्वप्रथम शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय महाविद्यालयों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों से पद पूर्ति की जाये, के आधार पर शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी में सह चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों पर म.प्र. के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/ शासकीय महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:- इस हेतु आवेदन पत्र कार्यदिवस में कार्यालय अधिष्ठाता/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आवक जावक शाखा, श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.) में दिनांक 16.08.2021 सायं 05:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी मध्यप्रदेश की वेबसाइट <http://shivpurimedicalcollege.com> पर उपलब्ध है।
2. आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अधिष्ठाता/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.) के आवक जावक शाखा, में जमा कराये जा सकते हैं।
3. आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से अधिष्ठाता श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में चिकित्सकीय संवर्ग हेतु आवेदन एवं आवेदित पद का नाम..... और आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

पदों का विवरण-

सीधी भर्ती:- सह चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी

स.क्र.	पदनाम	UR	SC	ST	OBC	EWS	योग
1	रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन/रेडियोग्राफर	0	2	0	2	0	4
2	डेंटल टेक्नीशियन	2	0	1	0	0	3
3	डार्क रूम असिस्टेंट	0	0	1	0	0	1
4	आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	0	0	0	1	0	1
5	टेक्नीशियन असिस्टेंट	0	0	1	1	0	2
6	टेक्नीशियन	0	0	2	1+1F	0	4
योग							15

- UR (अनारक्षित), SC(अनुसूचित जाति), ST(अनुसूचित जनजाति),OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग),EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), F (महिला वर्ग)

नोट:- क्रमांक एफ7-53-2019-आ.प्र.-1 म.प्र. लोक सेवा अधिनियम 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1998 में संशोधन दिनांक 24.12.2019, शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन सीधी भर्ती द्वारा सह चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्तपदों पर भर्ती की जानी है।

4. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-

रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन/रेडियोग्राफर	<ol style="list-style-type: none"> 1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिग्री/ डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र। 3. मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र।
डेंटल टेक्नीशियन	<ol style="list-style-type: none"> 1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिप्लोमा। 3. चयन उपरांत मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन।
डार्क रूम असिस्टेंट	<ol style="list-style-type: none"> 1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से एक्स-रे टेक्नीशियन में 01 वर्ष पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र। 3. मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन।
आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	<ol style="list-style-type: none"> 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की डिग्री। 2. मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन।
टेक्नीशियन असिस्टेंट	<ol style="list-style-type: none"> 1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/ डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र। 3. मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन।
टेक्नीशियन	<ol style="list-style-type: none"> 1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/ डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र। 3. मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन।

5. सह चिकित्सीय संवर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु निर्देश/ शर्तें:-

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक गुणवत्ता एवं शासन द्वारा व्यय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए स्क्रूटनी में उपयुक्त पाये जाने पर

सह चिकित्सकीय पदों पर नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित परिश्रमिक रूपयें 10,000/- प्रतिमाह पर की जावेगी। 03 माह पश्चात कार्यरत कर्मचारियों की परीक्षा ली जावेगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जावेगा।

6. वेतनमान एवं अन्य भत्ते:-

पद का नाम	वेतन बैंड+ ग्रेड-पे
रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन/रेडियोग्राफर	5200-20200+2800
डेन्टल टेक्नीशियन	5200-20200+2800
डार्क रूम असिस्टेंट	5200-20200+1900
आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	5200-20200+2800
टेक्नीशियन असिस्टेंट	5200-20200+1900
टेक्नीशियन	5200-20200+2800

मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ मध्यप्रदेश शासन नियमानुसार लागू होंगे।

7. आरक्षण:-

1. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमिलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।
3. उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो।
4. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी राज्य पत्र अधिसूचना क्रमांक 19.01.2015 के अनुसार दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।
5. विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जिसमें विकलांग प्रतिशत स्पष्ट दर्शाया गया हो प्रस्तुत करना होगा।

अस्थि बाधित	अस्थि बाधित (45%-50%) शरीर के निचले हिस्से की विकलांगता मान्य है।
-------------	---

6. उक्त पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ-9-3/2012/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 22 सितंबर 2012 के अनुसार रहेगा।
7. उक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

8. आयु सीमा:-

1. अनारक्षित वर्ग हेतु वर्ष

- न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40

2. अनुसूचित जाति/ जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय
/निगम/ मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/
नगर सैनिक निःशक्तजन/महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित) आदि हेतु

– न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष
(अधिकतम आयुसीमा में 05 वर्ष की छूट)

नोट:– आयु की गणना 01 जनवरी 2021 के आधार पर की जावेगी।

9. सामान्य शर्तें:–

1. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूलनिवासी होना चाहिए।
2. शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ2–20/2020/1/55 भोपाल, दिनांक 17.11.2020 के अनुसार म.प्र. के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया जावेगा।
4. मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ2–20/2020/1/55 भोपाल, दिनांक 09.04.2021 के अनुसार म.प्र. के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों से पदों की पूर्ति किये जाने के पश्चात् आरक्षणवार शेष रिक्त पदों को 80 प्रतिशत अन्य पैरामेडिकल महाविद्यालयों/शासकीय महाविद्यालयों के उम्मीदवारों के लिये तथा 20 प्रतिशत प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिये विभाजन किया जायेगा।
5. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अहर्ता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों को पूरा करते हों उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगी।
7. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण –पत्र जमा करना अनिवार्य है।
8. अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जबाबदारी नहीं होगी।
9. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
10. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, ग्वालियर।

11. ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
12. वैवाहिक स्थिति— एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद ना हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो तो ऐसे आवेदक चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
13. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये गये अनुसार बंधनकारी होंगी।
14. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्म तिथि पर विचार किया जायेगा अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के उपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवारों को वरीयता दी जावेगी जिन्होंने आवेदन किये पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अहर्ता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियां एक से अधिक आवेदक के लिए समान हो तो कक्षा 12 वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।
15. सह चिकित्सकीय संवर्ग के पद हेतु आवेदन के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लें।

10. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र:—

सह चिकित्सकीय संवर्ग का न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

11. अनहर्तायें:—

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थाई रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जायेगा:—

1. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो।
2. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छुपाई हो।
3. भर्ती के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो।
4. आवेदकों को म.प्र. (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम अनुसार नियुक्ति के लिए वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो।
 - अ. पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो

ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये की ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

ब. जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाये गये।

स. महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराधी का दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

द. जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान से जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

5. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

12. चयन प्रक्रिया (वेटेज निम्नानुसार रहेगा) :-



- विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अवगत किया जाता है कि अभ्यर्थियों द्वारा किये गये आवेदन तथा पद के लिये आवश्यक शैक्षणिक योग्यता डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र (उक्त क्रम में) में प्राप्तांक के आधार पर उक्त क्रम में वरीयता सूची तैयार की जाकर चयन किया जावेगा।
- चयन प्रक्रिया में सर्वप्रथम डिग्री धारकों को तत्पश्चात डिप्लोमा धारकों को प्राथमिकता दी जावेगी।
- प्रवीणीय सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जावेगा। अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के उपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी। जिन्होंने आवेदन किये हुये पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम आर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनो स्थितियां एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा 12 वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।
- दस्तावेज सत्यापन में त्रुटी पाई जाने पर उम्मीदवार को आयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की योग्यता संबंधि समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
- भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जावेगा।

13. आवेदन संबधित समय तालिका :-

क्रमांक	गतिविधि	तारीख
1	आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	12.08.2021
2	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	16.08.2021

14. महत्वपूर्ण टीप:-

उपरोक्त तिथियां शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की वेबसाईट <http://shivpurimedicalcollege.com> की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान देवें। इस संबंध में शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की कोई जबावदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। परन्तु इसके पश्चात् भी यदि अभ्यार्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यार्थिता निरस्त कर दी जावेगी।


अधिष्ठाता
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया
चिकित्सा महाविद्यालय,
शिवपुरी (म.प्र.)


आवेदन का प्रारूप

स्वप्रमाणित
फोटो

1. आवेदित पद का नाम.....
2. आवेदक का पूरा नाम (उपनाम सहित).....
3. पुरुष/महिला/अन्य.....
4. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
5. जन्मतिथि.....
6. आयु दिनांक 01.01.2021 के अनुसार वर्ष..... माह..... दिन.....
(सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
7. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिन कोड सहित).....
.....
8. स्थाई निवास स्थान का पता (पिन कोड सहित).....
.....
9. मोबाइल नं.....ई.मेल.आई.डी.....
10. वर्ग:- अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/आर्थिक रूप से कमजोर..... (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
11. क्या आप मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय कार्यालय में आवेदित/उच्च पद पर 05 वर्ष से संविदा नियुक्ति पर कार्यरत है- हाँ..... या नहीं
12. विवाहित होने की स्थिति में विवाह की तिथि
13. क्या आपने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय से डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है - हाँ.....नहींयदि हाँ तो शासकीय संस्था का नाम.....
.....
14. शैक्षणिक योग्यताएँ:- (प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1						
2						
3						

15. जीवित बच्चों का विवरण:-

क्र.	नाम	लिंग	जन्मतिथि (सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
1			
2			

16. अन्य विशेष योग्यता:-

17. सेवारत होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।

18. निर्धारित आयु के पूर्व विवाह ना होने तथा 26.01.2001 के पश्चात तीसरी संतान न होने का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ-पत्र संलग्न करें।

19. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची।

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर
पता सहित-

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर